



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2013/भाद्र 12, 1935

No. 230]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2013/BHADRA 12, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2013

सं.एल.-7/143/158/2012-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 है;  
(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन.— (1) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ख) में, 'अंतरराज्यिक व्यापार' शब्दों के पश्चात् 'अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।  
(2) मूल विनियम के विनियम 9 में, परंतुक सहित खंड (ख क) को हटा दिया जाएगा।  
(3) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ख ग) में, 'अंतरराज्यिक व्यापार' शब्दों के पश्चात्, 'अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे तथा 'प्रत्येक वर्ष के 31वें मई तक' शब्दों के पश्चात् 'फार्म VI-ट के अनुसार' शब्द जोड़े जाएंगे।

- (4) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ग) में, 'अंतःराज्यिक व्यापार' शब्दों के पश्चात् 'अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
3. मूल विनियम के विनियम 10 के खंड (3) में संशोधन.—(1) मूल विनियम के विनियम 10 के खंड (3) में 'अंतःराज्यिक व्यापार' शब्दों के पश्चात् 'अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
4. नए विनियम का अंतःस्थापन.—(1) मूल विनियम के विनियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—
- "16क. जहां कहीं अनुज्ञप्तिधारियों से इन विनियमों के अधीन अपनी वेबसाइट पर जानकारी डालने की अपेक्षा की जाती है, वहां अनुज्ञप्तिधारियों से केवल संपरिवर्तित पीडीएफ फार्मेट में न कि दस्तावेजों की प्रतिकृतियों में, ऐसी जानकारी डालने की अपेक्षा की जाएगी।"
5. मूल विनियम से संलग्न फार्मों का संशोधन.— (1) मूल विनियम के फार्म-1 (अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन) को इन विनियमों के साथ संलग्न पुनरीक्षित फार्म-1 (अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन) से बदला जाएगा।
- (2) मूल विनियम से संलग्न फार्म-IV-1 को हटा दिया जाएगा।
- (3) मूल विनियमों के फार्म 4- ज के पश्चात्, एक नया फार्म, फार्म-IV-ट जोड़ा जाएगा।

ए. के. सक्सेना, प्रमुख (इंजीनियरिंग)

[विज्ञापन—III/4 / असाधारण / 150 / 13]

टिप्पणी : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, संख्या 28 में तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किया गया था और उन्हें निम्नानुसार संशोधित किया गया :

- (क) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 2-6-2009 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2009.
- (ख) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, संख्या 197, तारीख 23-10-2009 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2009.
- (ग) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, संख्या 152, तारीख 7-6-2010 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010; तथा
- (घ) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, संख्या 224, तारीख 11-10-2012 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010.

फार्म-1

## अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :
2. पता:
  - (क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:
  - (ख) पत्राचार के लिए पता:
  - (ग) वेबसाइट का पता:
3. संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता:
4. संपर्क टेलीफोन नंबर:
5. फैक्स नंबर:
6. ई-मेल आईडी:
7. आवेदक की स्थिति:
 

(क्या वह भारत का नागरिक है या भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अंतर्गत पंजीकृत साझेदारी फर्म या कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के अंतर्गत समाविष्ट कंपनी या व्यक्तियों की कोई ऐसी संगम या निकाय है जो भारत के नागरिक हैं भले ही भारतीय विधि के अंतर्गत ये समाविष्ट हैं या नहीं हैं या कृत्रिम विधिक व्यक्ति हैं। यदि सूचीबद्ध कंपनी है तो उस स्टॉक एक्सचेंजों का नाम जिसमें सूचीबद्ध किए गए हैं और नवीनतम शेयर कीमत दी जाए)
8. समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का स्थान:
9. समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का वर्ष:
10. संगम ज्ञापन का वह खंड जिसमें विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार को प्राधिकृत किया गया है (सुसंगत भाग का उल्लेख करें)
11. क्या संगम ज्ञापन विद्युत के पारेषण को प्राधिकृत करता है। यदि हाँ तो सुसंगत भाग का उल्लेख करें:
12. (क) प्राधिकृत शेयर पूंजी
  - (ख) जारी की गई शेयर पूंजी
  - (ग) अभिदत्त शेयर पूंजी
  - (घ) समादत्त शेयर पूंजी

टिप्पण: निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाएंगी:

  - (क) समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
  - (ख) व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र, जहां लागू हो
  - (ग) संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद
  - (घ) आवेदक की प्रतिबद्धता के लिए हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में मूल पावर ऑफ अटॉर्नी
13. आवेदित अनुज्ञप्ति की श्रेणी
14. व्यापार किए जाने के लिए आशयित ऊर्जा की मात्रा
15. व्यापार का क्षेत्र:
 

भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन जिसमें आवेदक का विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार आरंभ करने का प्रस्ताव है
16. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार नेटवर्थ (शुद्ध धन)(यदि लागू हो)

- (ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को नेटवर्थ (शुद्ध धन)
17. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वर्तमान अनुपात (यदि लागू हो)
- (ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को वर्तमान अनुपात
18. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार लिक्विडिटी अनुपात (यदि लागू हो)
- (ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को लिक्विडिटी अनुपात
19. आवेदन करने की तारीख को शेयर होल्डिंग के ब्यौरे (प्रत्यक्ष रूप से आवेदक या उसके संबंधियों के 5% या उससे अधिक के शेयरों को रखने वाले प्रत्येक शेयरधारकों का ब्यौरा दें)
- (क) शेयर धारक का नाम
- (ख) नागरिकता
- (ग) आवासीय स्थिति
- (घ) धारित शेयरों की संख्या
- (ङ) कंपनी की कुल समादत्त पूंजी की प्रतिशतता
20. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वार्षिक टर्नओवर (यदि लागू हो)
- (ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को टर्नओवर
21. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता : आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रस्तावित कार्यालय एवं प्रेषण सुविधाओं आदि के लिए विभिन्न कार्यपालकों के ब्यौरे एवं अपनी संगठनात्मक संरचना के रूप में इन विनियमों के अनुसार अपनी संगठनात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता का सबूत संलग्न करें।
22. दृष्टिकोण एवं प्रणाली : आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने द्वारा यथा प्रस्तावित व्यापार व्यवस्थाओं की स्थापना के लिए दृष्टिकोण एवं प्रणाली को वर्णित करे।
23. अन्य जानकारी
- (क) क्या आवेदक या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक दिवालिया घोषित किया गया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा। चाहे वे उसके लिए निर्मोचित नहीं किए गए हैं;
- (ख) आवेदन करने के वर्ष तथा आवेदन करने के ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान आवेदक, या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदारी, या संप्रवर्तक या निदेशक की नैतिक अधमता, कपट या आर्थिक अपराध की दोषसिद्धि पर रहने के परिणामस्वरूप मामलों के ब्यौरे तथा ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कारावास, यदि कोई हो, से उपरोक्त व्यक्ति को निर्मुक्त करने की तारीख ;
- (ग) क्या आवेदक या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदारी, या संप्रवर्तक या निदेशक को कभी अनुज्ञप्ति देने से इंकार किया गया था। यदि हां, तो आवेदन करने की तारीख, इंकार करने की तारीख और इंकार करने के कारणों का ब्यौरा दें ;
- (घ) क्या आवेदक के पास पारेषण अनुज्ञप्ति है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें ;
- (ङ) क्या आयोग ने आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक या निदेशक की अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया है ;

- (च) क्या आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक या निदेशक को अधिनियम, या उसके अधीन किसी कार्यवाही में बनाए गए नियमों तथा विनियमों के किन्हीं उपबंधों या समुचित आयोग द्वारा किए गए आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। यदि हाँ, तो उसका व्यौरा दें।

24. संलग्न दस्तावेजों की सूची : दस्तावेजों का नाम

- (क) .....
- (ख) .....
- (ग).....
- (घ).....

(आवेदक या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

फार्म-IV-ट

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा द्विपक्षीय एवं पावर एक्सचेंज संव्यवहारों की वार्षिक विवरणी

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

अनुज्ञप्ति का न्यौरा (संख्या एवं तारीख) :

वित्तीय वर्ष :

1. अंतरराज्यिक द्विपक्षीय संव्यवहार			
	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (एमयू में)	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (रु. में)	प्रभारित कुल वार्षिक व्यापार मार्जिन (रु. में)

2. पावर एक्सचेंज संव्यवहार			
	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (एमयू में)	कुल संव्यवहारित वार्षिक मात्रा (रु. में)	प्रभारित कुल वार्षिक व्यापार मार्जिन (रु. में)

3. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र व्यापार (आरईसी)			
	संव्यवहारित आरईसी की कुल वार्षिक मात्रा (आरईसी की संख्या)	संव्यवहारित आरईसी की कुल वार्षिक मात्रा (रु. में)	आरईसी पर प्रभारित कुल वार्षिक व्यापार मार्जिन (रु. में)

3797 GI/13-2

4.	अंतःराज्यिक द्विपक्षीय संब्यवहार	
	संब्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (एमयू में)	संब्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (रु. में)

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2013

**No. L-7/143/158/2012-CERC.**—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Second Amendment) Regulations, 2013.  
(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Amendment of Regulation 9 of Principal Regulations.**—(1) In clause (b) of Regulation 9 of Principal Regulations, the words "on the basis of the inter-State trading licence" shall be inserted after the words "intra-State trading".  
(2) In Regulation 9 of Principal Regulations, clause (ba) along with the proviso thereunder shall be deleted.  
(3) In clause (bc) of Regulation 9 of Principal Regulations, the words "on the basis of the inter-State trading licence" shall be inserted after the words "intra-State trading" and the words "as per Form IV-K" shall be added after the words "by 31st May of every year."  
(4) In clause (c) of Regulation 9 of Principal Regulations, the words "on the basis of the inter-State trading licence" shall be inserted after the words "intra-State trading."
3. **Amendment to clause (3) of Regulation 10 of Principal Regulations.**—(1) In clause (3) of Regulation 10 of Principal Regulations, the words "on the basis of the inter-State trading licence" shall be inserted after the words "intra-State trading."
4. **Insertion of new Regulation.**—(1) The following new Regulation shall be inserted after Regulation 16 of the Principal Regulations.  
"16A. Wherever the licensees are required under these regulations to post the information on their website, the licensees shall be required to post such information only in text converted PDF format, and not images of the documents."
5. **Amendment to Forms appended to the Principal Regulations.**—(1) Form-I (Application for grant of licence for Inter-State Trading) of the Principal Regulations shall be replaced with the revised Form-I (Application for grant of licence for Inter-State Trading) appended to these Regulations.  
(2) Form IV-I appended to the Principal Regulations shall be deleted.  
(3) A new form, Form IV-K shall be added after Form IV-J of the Principal Regulations.

A. K. SAXENA, Chief (Engineering)

[ADVT-III/4/Exty./150/13]

**Note :** Principal Regulations were published on 24.2.2009 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 28 and amended in terms of :—

- (a) Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Amendment) Regulations, 2009 published in Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4 dated 2.6.2009;

- (b) Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Second Amendment) Regulations, 2009 published in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4 No.197 dated 23.10.2009;
- (c) Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (First Amendment) Regulations, 2010 published in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4 No. 152 dated 7.6.2010; and
- (d) Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (First Amendment) Regulations, 2012 published in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4 No. 224 dated 11.10.2012.

FORM-1

**Application form for grant of Licence for Inter-State Trading**

1. Name of the applicant:
2. Address :
  - (a) Registered office address :
  - (b) Address for correspondence :
  - (c) Website address :
3. Name, Designation and Address of the contact person:
4. Contact Tel. Nos. :
5. Fax No. :
6. E-mail ID :
7. Status of the applicant :
 

(Whether a citizen of India or a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) or a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or an association or a body of individuals who are citizens of India whether incorporated or not or an artificial juridical person recognized under the Indian Laws. If a listed company, name of Stock Exchanges on which listed and latest share price to be given)
8. Place of Incorporation/Registration :
9. Year of Incorporation/Registration :
10. Clause of the Memorandum of Association which authorizes undertaking inter-State trading in electricity (Extract the relevant portion)
11. Whether the Memorandum of Association authorizes undertaking transmission of electricity. If so, the extract of the relevant portion.
12.
  - (a) Authorised share capital
  - (b) Issued share capital
  - (c) Subscribed share capital
  - (d) Paid up share capital

**Note :** Copies of the following documents shall be enclosed

  - (a) Certificate of incorporation/registration
  - (b) Certificate for commencement of business, where applicable
  - (c) Memorandum of Association and Articles of Association
  - (d) Original power of attorney in favour of the signatory to commit the applicant
13. Category of licence applied for
14. Volume of power intended to be traded
15. Area of Trading :
 

State the geographical areas within which the applicant proposes to undertake inter-State trading in electricity

3797 GI/13-3

16. (i) Net worth as per the last year's audited accounts prior to the date of application (if applicable).  
(ii) Net worth on the date of preparation of the special balance sheet accompanying the application.
17. (i) Current Ratio as per the last year's audited accounts prior to the date of application (if applicable).  
(ii) Current ratio on the date of preparation of the special balance sheet accompanying the application.
18. (i) Liquidity Ratio as per the last year's audited accounts prior to the date of application (if applicable).  
(ii) Liquidity ratio on the date of preparation of the special balance sheet accompanying the application.
19. Details of shareholding as on the date of making application  
(Give details of each of the shareholders holding 5% and above of the shares of the applicant directly or with relatives)
- (a) Name of the shareholder  
(b) Citizenship  
(c) Residential status  
(d) No. of shares held  
(e) Percentage holding of total paid up capital of the company
20. (i) Annual turnover as per the audited accounts for the past one year prior to the date of application (if applicable).  
(ii) Turnover on the date of preparation of the special balance sheet accompanying the application.
21. Organizational and Managerial capability of the applicant: The applicant is required to enclose proof of his Organizational and Managerial capability, in terms of these regulations, in form of his organizational structure and curricula vitae of various executives, proposed office and communication facilities, etc.
22. Approach and Methodology: The applicant is required to describe approach and methodology for establishment of the trading arrangements as proposed by him.
23. Other Information
- (a) Whether the applicant or any of his associates, or partners, or promoters, or Directors has been declared insolvent? If so, the details thereof and whether they have been discharged or not;
- (b) Details of cases resulting in conviction for moral turpitude, fraud or economic offences of the applicant, any of his associates, or partners, or promoters, or Directors during the year of making the application and three years immediately preceding the year of making application and the date of release of the above person from imprisonment, if any, consequent to such conviction;
- (c) Whether the applicant or any of his associates, or partners, or promoters, or Directors was ever refused licence. If so, give the details of date of making application, date of refusal and reasons for refusal;
- (d) Whether the applicant holds a transmission licence. If so, give the details thereof;
- (e) Whether an order canceling the licence of the applicant or any of his associates, or partners, or promoters, or Directors was ever passed by the Commission;
- (f) Whether the applicant or any of his associates, or partners, or promoter, or Directors was ever found guilty of contravention of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder or an order made by the Appropriate Commission, in any proceedings. If so, give the details thereof.
24. List of documents enclosed: Name of the document
- (a) \_\_\_\_\_  
(b) \_\_\_\_\_  
(c) \_\_\_\_\_  
(d) \_\_\_\_\_

Place :

(Signature of the Applicant or the authorized person)

Date :



**FORM IV-K**

Annual Return of Bilateral and Power Exchange Transactions by Trading Licensee

Name of the Trading Licensee :

Licence Details (No. and Date) :

Financial Year :

1	Inter-State Bilateral Transactions		
	Total Annual Volume Transacted (in MUs)	Total Annual Volume Transacted (in ₹)	Total Annual Trading Margin Charged (in ₹)

  

2	Power Exchange Transactions		
	Total Annual Volume Transacted (in MUs)	Total Annual Volume Transacted (in ₹)	Total Annual Trading Margin Charged (in ₹)

  

3	Renewable Energy Certificates Trading (REC)		
	Total Annual Volume of REC Transacted (No. of REC)	Total Annual Volume of REC Transacted (in ₹)	Total Annual Trading Margin Charged on REC (in ₹)

  

4	Intra-State Bilateral Transactions	
	Total Annual Volume Transacted (in MUs)	Total Annual Volume Transacted (in ₹)